न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 165/2019 दायरा दिनांक : 11.12.2019

उनवान

किशन पुत्र कान्हा, जाति मीना, आयु 54 साल, निवासी मेलखेड़ी, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1— कमली बाई पुत्री कान्हा, जाति मीना, निवासी मेलखेड़ी, तहसील बारां, जिला बारां,

2— तुलसाबाई पुत्री कान्हा, जाति मीना, निवासी मेलखेड़ी, तहसील बारां, जिला बारां,

3— शिवनारायण पुत्र कल्याण, जाति मीना, निवासी मेलखेड़ी, तहसील बारां, जिला बारां,

4— नंदकिशोर पुत्र कल्याण, जाति मीना, निवासी मेलखेड़ी, तहसील बारां, जिला बारां,

5— महावीर पुत्र बजरंगलाल, जाति मीना, निवासी मेलखेड़ी, तहसील बारां, जिला बारां,

6— राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री वाई.एस.भटनागर, श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री राजेन्द्र कुमार सुमन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : **24.08.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 145/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट नं.1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम मेलखेड़ी की आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 3.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 3.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 361 रकबा 1.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 891 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 928 रकबा 0.49 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.52 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 9.41 हेक्टर एवं आराजी खसरा नम्बर 335 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 401 रकबा 1.86 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 915 रकबा 0.72 हेक्टर कुल 3 किता कुल रकबा 2.97 हेक्टर में वादिया का अपने भाई बहन प्रतिवादी किशन व तुलसाबाई के साथ 1/6 हिस्सा दर्ज है जिस पर वह काबिज काश्त है। उक्त वादग्रस्त आराजी शामलाती है । वादग्रस्त आराजी शामलाती होने से आपस में लडाई झगडा करता है पक्षकारान के बीच कडता लगान आदि को लेकर भी आये दिन झगड़ा फसाद होता रहता है। इस कारण से वादिया कमली बाई अपने हिस्से की

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टैनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, को...

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व ... प्राधिकारी
कोटा (...)

आराजी का विभाजन कराकर हिस्सा अलग करवाना चाहती है । अतः वादिया का 1/6 हिस्सा अलग कर अलग से कब्जा दिलाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की एवं वादग्रस्त आराजी में वादिया का 1/6 हिस्सा पृथक कायम किया जाकर पृथक से लगान निर्धारण के आदेश दिये जाकर तहसीलदार बारां को विभाजन प्रस्ताव विजवाने हेतु निर्देशित किया कि यदि पक्षकारान सहमत हो तो सहमति अनुसार अन्यथा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी बुरी आराजियात के प्रस्ताव भिजवावे, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित किया है। पक्षकारान के पिता कान्हा की मृत्यु के बाद उनके खाते की जमीन में रेस्पोडेंट क्रम 1 वादिनी व अपीलांट/प्रतिवादी क्रम 1 एवं रेस्पोडेंट क्रम 2/प्रतिवादी नं. 2 के पक्ष में 1/6–1/6 हिस्से की डिक्री पारित की जावे व उक्तानुसार उनको कब्जा भी दिलाया जावे । प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है कि खातेदार मीना जाति का है और उसके एक लड़का व दो लड़कियां जीवित है, इस कारण मीना जाति का होने के कारण लड़के के होते हुए लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं बनता है । इस बाबत आर.आर.डी. 1981 पृ.सं. 361 मधु बनाम स्टेट ऑफ राज. पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेंट क्रम 1/वादिनी शादीशुदा है एवं उसके पति श्री प्रेम नारायण अभी भी जिन्दा है इस बाबत स्वयं वादिनी/रेस्पोडेंट नं.1 का सशपथ बयान में अंकन है। रेस्पोडेंट क्रम1 वादिनी का यह कथन विधि विरूद्ध है कि जो पुत्री अपने पिता के साथ रहती है उसे हक हिस्सा लेने का अधिकारी है किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1, 2, 3 को बहक रेस्पोडेंट नं.1 वादिनी के पक्ष में निर्णित करने कानूनी भूल की

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, को

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (रा.ज0)

है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 4 प्रतिवादी कम 1 अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय का कोई निर्णय न होने से निर्णय व डिकी अपास्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.09.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 14.10.2015 पेज 606, आर.आर.टी.2012(1) पेज 431, आर.आर.डी.1981 पेज 361 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजीयात है । कमलीबाई अपने विवाह के बाद ससुराल नहीं गई है तथा अपने पिता के जीवनकाल में उनके साथ उनकी मृत्यु के बाद किशन के साथ रह रही है । विवादित आराजी में वादिया का 1/6 हिस्सा है जो वादिया के जीवन यापक का साधन है । किशन ने कमलीबाई की कोई परवरिश नहीं की तथा कमलीबाई के हिस्से की पुश्तैनी आराजी पर कब्जा करना चाह रहा है जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी उचित है जिसमें हम किसी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
शोधा
बहादुर सिंह
स्टेनो-(पी. ए.)
प्रबन्ध अधिकारी कोटा

प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/8/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

किशन पुत्र कान्हा, जाति मीना, आयु 54 साल, निवासी मेलखेडी, तहसील बारां, जिला बारां, राजस्थान

..........अपीलान्ट्स

बनाम

1– कमली बाई पुत्री कान्हा, जाति मीना, निवासी मेलखेडी, तहसील बारां, जिला बारां,
2– तुलसाबाई पुत्री कान्हा, जाति मीना, निवासी मेलखेड़ी, तहसील बारां, जिला बारां,
3– शिवनारायण पुत्र कल्याण, जाति मीना, निवासी मेलखेडी, तहसील बारां, जिला बारां,
4– नदकिशोर पुत्र कल्याण, जाति मीना, निवासी मेलखेड़ी, तहसील बारां, जिला बारां,
5– महावीर पुत्र बजरंगलाल, जाति मीना, निवासी मेलखेड़ी, तहसील बारां, जिला बारां,
6– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 165/2019 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
मु.द.नं0 145/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक – 24.09.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 03 माह 08 सन् 2022

हाजरी **श्री वाई.एस.भटनागर, श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं श्री रघुवीर प्रसाद मीणा** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री राजेन्द्र कुमार सुमन** अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 24 माह 08 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)

मोहर